

मध्य प्रदेश की पूर्व-अदायगी के  
द्वारा द्वारा भेजे जाने के  
लिए अनुमतः अनुमति-पत्र  
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डब्ल्यू.पी.  
122 (पंजी. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]

भोपाल, शुकवार, दिनांक 3 मई 1985--वैशाख 13, शके 1907

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 1985

क्र. 505-डब्ल्यू.पी.-आ.(प्रा.)--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 1 मई 1985 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एम. हुब, निरीक्षण अधिकारी।

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 5 सन् १९८५.

शोपाल गैस वासदी (जंगम सम्पत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जावा) अधिनियम, १९८५.  
विषय-सूची.

द्वारा :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विक्रय के संबन्धित शून्य घोषित किये जाने के लिये आवेदन.
४. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच.
५. विक्रय का अस्वीकार किया जाना तथा संपत्ति की वापसी या अन्य अनुतोष का दिया जाना.
६. शास्ति.
७. अपील.
८. आदेश की अंतिमता.
९. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
१०. जर्न तथा कार्यवाहियों न्यायिक कार्यवाहियां होंगी.
११. तिरस्न.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् १९८५

भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, १९८५

[ दिनांक १ मई, १९८५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ३ मई, १९८५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

जंगम संपत्ति के विक्रय के कतिपय उन संव्यवहारों को, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा यूनियन कार्बाइड फैक्टरी, भोपाल से हानिकारक गैस के रिसन से उत्पन्न आतंक के कारण किये गए हैं, शून्य घोषित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, १९८५ है.

(२) यह २४ जनवरी, १९८५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "प्रभावित क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम, भोपाल की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

३. (१) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने यूनियन कार्बाइड फैक्टरी, भोपाल से हानिकारक गैस के रिसन से उत्पन्न आतंक के कारण ३ दिसम्बर, १९८४ से २४ दिसम्बर, १९८४ तक की कालावधि के दौरान अपनी किसी जंगम संपत्ति का विक्रय किसी व्यक्ति को किया हो, विक्रय के ऐसे संव्यवहार को शून्य घोषित किए जाने के लिए आवेदन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी को, जो कलक्टर की पदश्रेणी के निम्न पदश्रेणों का नहीं होगा, कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन के प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अस्तविष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (एक) विक्रेता का नाम तथा पता;
- (दो) क्रेता का नाम तथा पता;
- (तीन) बेची गई जंगम संपत्ति के ब्यारे;
- (चार) प्राप्त प्रतिफल;
- (पांच) विक्रय की तारीख तथा स्थान; और
- (छह) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो अपेक्षित की जाएं.

(३) आवेदन में किए गए कथन आवेदक द्वारा ऐसी रीति में सत्यापित किए जाएंगे जो बादों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है.

४. (१) सक्षम प्राधिकारी धारा ३ के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी प्रारंभिक जांच, जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, यह अभिनिश्चित करने के लिये कर सकेगा कि क्या विक्रय का संव्यवहार धारा ३ में विनिर्दिष्ट प्रकृत का है और यह समाधान हो जाने पर कि धारा ३ ऐसे संव्यवहार को लागू होती है, वह उसके संबंध में अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसे संव्यवहार को जांच इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में करने के लिये अग्रसर होगा.

(२) सक्षम प्राधिकारी विक्रय के संव्यवहार के पक्षकारों पर एक सूचना तामील कराकर उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वे समस्त सुसंगत तथ्यों तथा दस्तावेजों को ऐसे स्थान पर, ऐसी तारीख को तथा ऐसे समय पर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसके समक्ष रखें.

(३) सक्षम प्राधिकारी सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख तथा समय पर पक्षकारों को व्यक्तिगत या सुनिश्चित रूप से बुलावेगा और, यदि आवश्यक हो तो, विक्रय में हितवद्ध समस्त पक्षकारों की परीक्षा इस दृष्टि से कर सकेगा कि विक्रय से सुसंगत जानकारी स्पष्ट हो जाए।

विक्रय का अर्पास्त किया जाना तथा जंगम संपत्ति की वापसी या अन्य अनु-तोष कर दिया जाता।

५. (१) यदि जांच के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(एक) विक्रय का संव्यवहार धारा ३ में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है; और

(दो) विक्रय के ऐसे संव्यवहार में संदत्त प्रतिफल ऐसी संपत्ति के उस बाजार-मूल्य के अनुसार पर्यप्त नहीं था जो कि विक्रय की तारीख को विद्यमान था,

तो वह ऐसे संव्यवहार को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य घोषित करेगा और,—

(क) यह आदेश पारित करेगा कि बेची गई संपत्ति, विक्रेता द्वारा प्रतिफल की रकम का प्रतिसंदाय कर दिए जाने पर वापस कर दी जाए;

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन आदेश पारित किया जाने के पन्द्रह दिन के भीतर संपत्ति वापस करने में असफल रहता है या उस दशा में जब कि सक्षम प्राधिकारी को राज्य में संपत्ति का वापस कराना साध्य न हो, क्रेता को यह निर्दिष्ट करने वाला आदेश पारित करेगा कि वह उपधारा (२) के अधीन की कीमत के अन्तर का संदाय करे;

(ग) ऐसे अन्य पारिणामिक आदेश पारित करेगा जो कि आवश्यक हों;

(२) अहाँ क्रेता संपत्ति वापस करने में असफल रहता है या किसी कारण से, जो कि लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसी संपत्ति विक्रेता को वापस कराना संभव न हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति की कीमत, ऐसी संपत्ति के उस बाजार-मूल्य के अनुसार नियत करेगा जो कि विक्रय की तारीख को विद्यमान थी और क्रेता को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार निदत्त की गई कीमत तथा वास्तव में संदत्त की गई प्रतिफल की रकम के बीच का अन्तर, यदि कोई हो, पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर विक्रेता को संदत्त कर दे।

(३) यदि क्रेता उपधारा (२) के अधीन संदत्त किये जाने के लिए निर्दिष्ट कीमत के अन्तर का संदाय, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो वह भू-राजस्व की बुकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम विक्रेता को संदत्त की जाएगी।

शास्ति.

६. जो कोई धारा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह, ऐसी किसी कार्यवाही पर, जो धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अपील.

७. कोई व्यक्ति, जो धारा ५ के अधीन सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, अपील ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में कर सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जैसा कि विहित किया जाए।

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिनिधि अधिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

आदेश की अंतिमता

८. अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या उस दशा में जबकि कोई अपील फाइल न की गई हो, सक्षम प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपील या पुनरावेदन की तौर पर या किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पन्न कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्धन.

९. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, विनिश्चित करने या उसके संबंध में कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यह अपेक्षित है कि सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी उसे निपटाए, विनिश्चित करे या उसके संबंध में कार्यवाही करे।

10. तक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष की समस्त जांचें तथा कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, जांचें तथा कार्य-  
1960 (1960 का सं. 44) की धारा 153 तथा 225 के अर्थ के अन्तर्गत और उसकी धारा 156 के प्रयोजनों के वाहियां स्थायित्व  
के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। कार्यवाहियां होंगी

11. भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अध्यादेश, 1984 (क्रमांक 4) निरस्त।  
सन् 1984) एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 मई 1985

क्र. 2883-इकॉस-अ (प्रा.)--भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के खण्ड (2) के अनुसरण में, भोपाल गैस त्रासदी  
(जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 5 सन् 1984) का अंग्रेजी अनुवाद  
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एम. दुबे, विशेष सचिव

6

संघसदस्य राजपत्र दिनांक 3 मई 1985

1050

16

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 of 1985

THE BHOPAL GAS TRASADI (JANGAM SAMPATTI KE VIKRAYON KA DHOONYA GHOSHIT KIYA JANA) ADHINIYAM, 1985.

[Received the assent of the President on the 1st May 1985; assent first published in "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 3rd May 1985.]

An Act to declare certain transactions of sale of movable property entered into certain persons under panic caused by leakage of injurious gas from Union Carbide Factory, Bhopal to be void.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-sixth Year of Republic of India as follows:—

विक्रय  
जंगम  
संपत्ति

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Bhopal Gas Trasadi (Jangam Sampatti Ke Vikrayon Ka Dhonyu Ghoshit Kiya Jana) Adhiniyam, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of January, 1985.

Definition.

2. In this Act unless the context otherwise requires,—

"affected area" means the area comprised within the limits of Municipal Corporation Bhopal.

Application to declare transaction of sale to be void.

3. (1) Any person residing in the affected area who has under panic caused by leakage of injurious gas from Union Carbide Factory, Bhopal sold any of his movable property during the period 3rd December, 1984 to 24th December, 1984 to any person may apply to the competent authority to be appointed by the State Government with such rank as may be determined by the Government to be the rank of Collector for declaring the transaction of sale to be void.

(2) Every application under sub-section (1) shall contain the following particulars:—

- (i) name of the seller with address;
- (ii) name of the purchaser with address;
- (iii) details of movable property sold;
- (iv) consideration received;
- (v) date and place of sale; and
- (vi) such other particulars as may be required.

(3) The statements in the application shall be verified by the applicant in the manner required by law for the verification of plaints.

Enquiry by competent authority.

The competent authority may on receipt of an application under section 3 make such preliminary enquiry as it may in the circumstances of the case deem fit to make to ascertain whether the transaction of sale is of the nature specified in section 3 and if being satisfied that section 3 applies to such transaction, it shall after recording its opinion therefor, proceed to conduct an enquiry into such transaction in the manner hereinafter provided.

(2) The competent authority shall by a notice served on the parties to the transaction of sale call upon them to place all relevant facts and documents before it at such place and on such date and at such time as may be specified in the notice.

(3) The Competent Authority shall at the place and at the date and time specified in the notice call upon the parties to the transaction of sale to be heard in person and may also examine the parties interested in the sale to elucidate information relevant to the sale.

शा

अप

आ

सि  
की  
वर्ष

Setting aside sale and return of movable property or affording other relief.

- (1) If after the enquiry the competent authority is satisfied that,—
- (i) the transaction of sale is of the nature specified in section 3; and
  - (ii) the consideration paid in such transaction of sale was not adequate according to the market value of such property prevalent on the date of sale,

it shall declare such transaction to be void notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and shall,—

- (a) pass an order to return the property sold on repayment of the amount of consideration by the seller;
- (b) if the purchaser fails to return the property within fifteen days of the order passed under clause (a) or where in the opinion of the competent authority it is not feasible to return the property, pass order directing the purchaser to pay the difference of price under sub-section (2);
- (c) pass such other consequential orders as may be necessary.

(2) Where the purchaser fails to return the property or for any reason to be recorded in writing it is not possible to return the property to the seller, the competent authority shall fix the price of such property according to the market value of such property prevalent on the date of sale and order the purchaser to pay the difference, if any, between the price so fixed and the amount of consideration actually paid to the seller within a period of fifteen days.

(3) If the purchaser fails to pay the difference of price ordered to be paid under sub-section (2) within the period specified therein the same shall be recoverable as an arrear of land revenue and the amount so recovered shall be paid to the seller

6. Whoever contravenes the provisions of section 5 shall, without prejudice to any action that may be taken by the competent authority under sub-section (3) of section 5, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

7. Any person aggrieved by an order of the competent authority under section 5, may within a period of thirty days of passing of such order, appeal to such authority as may be appointed by the State Government in this behalf, in such form and manner and accompanied such fee as may be prescribed:

Provided that in computing the period aforesaid, time requisite for obtaining the copy of the order appealed against shall be excluded.

8. Every order made by the appellate authority in appeal or any order of the competent authority shall, if no appeal is filed, be final and shall not be called in question in any court, tribunal or authority by way of appeal or revision or in any original suit application or execution proceeding.

9. No civil court shall have any jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is or under this Act required to be settled, decided or dealt with by the competent authority or the Appellate Authority.

10. All enquiries and proceedings before the competent authority or the appellate authority shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) and for the purposes of section 196 thereof.

11. The Bhopal Gas Tragedy (Jangam Sampatti Ke Vikrayon Ka Shoonya Ghoshit Kiya Janta) Adhyadesh, 1985 (No. 4 of 1985) is hereby repealed.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 of 1985

8

THE BHOPAL GAS TRASADI (JANGAM SAMPATTI KE VIKRAYON  
KA SHOONYA GHOSHIT KIYA JANA) ADHINIYAM, 1985

TABLE OF CONTENTS

*Sections :*

1. Short title and commencement.
2. Definition.
3. Application to declare transaction of sale to be void.
4. Enquiry by competent authority.
5. Setting aside sale and return of movable property or affording other relief.
6. Penalty.
7. Appeal.
8. Finality of order.
9. Bar of jurisdiction of civil court.
10. Enquiries and proceedings to be judicial proceedings.
11. Repeal.



## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 1985

क. 8446-इक्कीस-अ-(प्रा.) - मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 1 मई 1985 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. दुबे, विशेष सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 8 सन् 1985.

भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, 1985.

#### विषय सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. विक्रय के संव्यवहार को शून्य घोषित किये जाने के लिये आवेदन.
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच.
5. विक्रय का अपास्त किया जाना तथा संपत्ति की वापसी या अन्य अनुतोष का दिया जाना.
6. शास्ति.
7. अपील.
8. आदेश की अंतिमता.
9. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
10. जांचें तथा कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी.
11. निरसन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 8 सन् 1985.

भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, 1985  
(दिनांक 1 मई, 1985 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में  
दिनांक 3 मई, 1985 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.)

जंगम संपत्ति के विक्रय के कतिपय उन संव्यवहारों को, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल से हानिकारक गैस के रिसन से उत्पन्न आतंक के कारण किये गए हैं, शून्य घोषित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह 24 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "प्रभावित क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

विक्रय के संव्यवहार को शून्य घोषित किए जाने के लिए आवेदन

3. (1) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल से हानिकारक गैस के रिसन से उत्पन्न आतंक के कारण 3 दिसंबर, 1984 से 24 दिसंबर, 1984 तक की कालावधि के दौरान अपनी किसी जंगम संपत्ति का विक्रय किसी व्यक्ति को किया हो, विक्रय के ऐसे संव्यवहार को शून्य घोषित किए जाने के लिए आवेदन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी को, जो कलेक्टर की पदश्रेणी में निम्न पदश्रेणी का नहीं होगा, कर सकेगा ।

(2) उप धारा (1) के अधीन के प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (एक) विक्रेता का नाम तथा पता,
- (दो) क्रेता का नाम तथा पता,
- (तीन) बेची गई जंगम संपत्ति के ब्यौरे,
- (चार) प्राप्त प्रतिफल,
- (पांच) विक्रय की तारीख तथा स्थान, और
- (छह) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो अपेक्षित की जाएं.

(3) आवेदन में किए गए कथन आवेदक द्वारा ऐसी रीति में सत्यापित किए जाएंगे जो वादों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित हैं ।

सक्षम  
प्राधिकारी द्वारा  
जांच

4. (1) सक्षम प्राधिकारी धारा 3 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी प्रारंभिक जांच, जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, यह अभिनिश्चित करने के लिये कर सकेगा कि क्या विक्रय का संव्यवहार धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है और यह समाधान हो जाने पर कि धारा 3 ऐसे संव्यवहार को लागू होती है, वह उसके संबंध में अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे संव्यवहार की जांच इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में करने के लिये अग्रसर होगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी विक्रय के संव्यवहार के पक्षकारों पर एक सूचना तामील कराकर उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वे समस्त सुसंगत तथ्यों तथा दस्तावेजों को ऐसे स्थान पर, ऐसी तारीख को तथा ऐसे समय पर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसके समक्ष रखे ।

(3) सक्षम प्राधिकारी सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख तथा समय पर पक्षकारों को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देगा, और यदि आवश्यक हो तो, विक्रय में हितबद्ध समस्त पक्षकारों की परीक्षा इस दृष्टि से कर सकेगा कि विक्रय से सुसंगत जानकारी स्पष्ट हो जाए ।

विक्रय का अपास्त  
किया जाना तथा  
जंगम संपत्ति की  
वापसी या अन्य  
अनुतोष का दिया  
जाना

5. (1) यदि जांच के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि :-

(एक) विक्रय का संव्यवहार धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, और

(दो) विक्रय के ऐसे संव्यवहार में संदत्त प्रतिफल ऐसी संपत्ति के उस बाजार मूल्य के अनुसार पर्याप्त नहीं था जो कि विक्रय की तारीख को विद्यमान था ।

तो वह ऐसे संव्यवहार को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य घोषित करेगा और :-

(क) यह आदेश पारित करेगा कि बेची गई संपत्ति, विक्रेता द्वारा प्रतिफल की रकम का प्रतिसंदाय कर दिया जाने पर वापस कर दी जाए ।

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन आदेश पारित किया जाने के पन्द्रह दिन के भीतर संपत्ति वापस करने में असफल रहता है या उस दशा में जब कि सक्षम प्राधिकारी की राय में संपत्ति का वापस कराना साध्य न हो, क्रेता को यह निर्दिष्ट करने वाला आदेश पारित करेगा कि वह उप धारा (2) के अधीन के कीमत के अंतर का संदाय करे ।

(ग) ऐसे अन्य पारिणामिक आदेश पारित करेगा जो कि आवश्यक हों ।

(2) जहां क्रेता संपत्ति वापस करने में असफल रहता है या किसी कारण से, जो कि लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसी संपत्ति विक्रेता को वापस कराना संभव न हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति की कीमत, ऐसी संपत्ति के उस बाजार मूल्य के अनुसार नियत करेगा जो कि विक्रय की तारीख को विद्यमान थी और क्रेता को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा वास्तव में संदत्त की गई प्रतिफल को रकम के बीच का अंतर, यदि कोई हो, पंद्रह दिन की कालावधि के भीतर विक्रेता को संदत्त कर दे ।

(3) यदि क्रेता उप धारा (2) के अधीन संदत्त किये जाने के लिए आदिष्ट कीमत के अंतर का संदाय, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो वह भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम विक्रेता को संदत्त की जाएगी ।

शास्ति

6. जो कोई धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी किसी कार्यवाही पर, जो धारा 5 की उप धारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अपील

7. कोई व्यक्ति, जो धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश पारित किया जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए । अपील ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में कर सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जैसा कि विहित किया जाए ।

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

आदेश की अंतिमता

8. अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या उस दशा में जबकि कोई अपील फाइल न की गई हो, सक्षम प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपील या पुनरीक्षण की तौर पर या किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पदन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

9. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, विनिश्चित करने या उसके संबंध में कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यह अपेक्षित है कि सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी उसे निपटाए, विनिश्चित करे या उसके संबंध में कार्यवाही करे ।

जांचें तथा  
कार्यवाहियां  
न्यायिक  
कार्यवाहियां होंगी

10. सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष की समस्त जांचें तथा कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत और उसकी धारा 196 के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

निरसन

11. भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अध्यादेश, 1985 (कमांक 4 सन् 1895) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

**भोपाल, दिनांक 3 मई 1985**

क. 8447-इक्कीस-अ(प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भोपाल गैस त्रासदी (जंगम संपत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना) अधिनियम, 1985 (कमांक 8 सन् 1985) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।

एम. एम. दुबे, विशेष सचिव.

16

# MADHYA PRADESH ACT

No. 8 of 1985

## THE BHOPAL GAS TRASADI (JANGAM SAMPATTI KE VIKRAYON KA SHOONYA GHOSHIT KIYA JANA) ADHINIYAM 1985

[Received the assent of the President on the 1<sup>st</sup> May, 1985; assent first published in "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 3<sup>rd</sup> May, 1985]

An act to declare certain transactions sale of movable property entered into certain persons under panic caused by leakage of injurious gas from Union Carbide Factory, Bhopal to be void.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-sixth Year of Republic of India as follows:-

- |  |   |
|--|---|
| <b>Short title and commencement</b>                          | <p>1. (1) This Act may be called the Bhopal Gas Trasadi (Jangam Sampatti Vikrayon Ka Shoonya Ghoshit Kiya Jana) Adhiniyam, 1985.</p> <p>(2) It shall be deemed to have come into force on the 24<sup>th</sup> day of January, 1985</p>  |
| <b>Definition</b>  | <p>2. In this Act unless the context otherwise require, -<br/>"affected area" means the area comprised within the limits of Municipal Corporation Bhopal.</p>   |
| <b>Application to declare transaction of sale to be void</b> | <p>3. (1) Any person residing in the affected area who has under panic caused leakage of injurious gas from Union Carbide Factory, Bhopal sold any of his movable property during the period 3<sup>rd</sup> December, 1984 to 24<sup>th</sup> December, 1984 to any person may apply to the competent authority to be appointed by the State Government with shall not be below the rank of Collector for declaring the transaction of sale to be void.</p> <p>(2) Every application under sub-section (1) shall contain the following particularly namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) name of the seller with address;</li><li>(ii) name of the purchaser with address;</li><li>(iii) details of movable property sold;</li><li>(iv) consideration received;</li><li>(v) date and place of sale; and</li><li>(vi) such other particulars as may be required</li></ul> <p>(3) The statements in the application shall be verified by the applicant in manner required by law for the verification of plaints.</p> |
| <b>Enquiry by competent authority</b>                        | <p>4. (1) The Government authority may on receipt of an application under section-3 make such preliminary enquiry as it may in the circumstances of the case deem fit to ascertain whether the transaction of sale is of the nature specified in section 3 and being satisfied that section 3 applies to such transaction, it shall after recording opinion therefore, proceed</p>  |

to conduct an enquiry into such transaction in the manner hereinafter provided.

- (2) The competent authority shall by a notice served on the parties to the transaction of sale call upon them to place all relevant facts and documents before it at such place on such date and at such time as may be specified in the notice.
- (3) The competent Authority shall at the place and at the date and time specified the notice offered an opportunity to the parties of being heard in person and may, necessary examine the parties interested in the sale to elucidate information relevant to the sale.

**Setting aside Sale and return of movable property or affording other relief**

- 5. (1) If after the enquiry the competent authority is satisfied:-
  - (i) the transaction of sale is of the nature specified in section 3; and
  - (ii) the consideration paid in such transaction of sale was not adequate according to the market value of such property prevalent on the date of sale,

it shall declare such transaction to be void notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and shall,-

- (a) pass an order to return the property sold on repayment of the amount of consideration by the seller;
  - (b) if the purchaser fails to return the property within fifteen days of the order passed under clause (a) or where in the opinion of the competent authority it is not feasible to return the property, pass order directing the purchaser to pay the difference of price under sub-section (2);
  - (c) pass such other consequential orders as may be necessary.
- (2) Where the purchaser fails to return the property or for any reason to be recorded in writing it is not possible to return the property to the seller, the competent authority shall fix the price of such property according to the market value of such property prevalent on the date of sale and order the purchaser to pay the difference, if any, between the price so fixed and the amount of consideration actually paid to the seller within a period of fifteen days.
  - (3) If the purchaser fails to pay the difference of price ordered to be paid under sub-section (2) within the period specified therein the same shall be recoverable as an arrear of land revenue and the amount so recovered shall be paid to the seller.

**Penalty**

- 6. Whoever contravenes the provision of the section 5 shall, without prejudice to any action to any action that may be taken by the competent authority under sub-section (3) of section 5, be punishable with imprisonment which may

extent one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

**Appeal**

- 7. Any person aggrieved by an order of the competent authority under section 5, may within a period of thirty days of passing of such order, a appeal to such authority as may be appointed by the State Government in this behalf, in such form and manner and accompanied such fee as may be prescribed:

Provided that in computing the period aforesaid, time requisite for obtaining the copy of the order appealed against shall be excluded.

**Finality of Order**

- 8. Every order by the appellate authority in appeal or any order of the competent authority shall, if no appeal is filed, be final and shall not be called in question in any court, tribunal or authority by way of appeal or revision or in any original suit application or execution proceeding.

**Bar of Jurisdiction of Civil Court**

- 9. No civil court shall have any jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled decided or dealt with by the competent authority or the Appellate Authority.

**Enquiries and proceedings to be judicial proceedings**

- 10. All enquiries and proceedings before the competent authority appellate authority shall be deemed to be judicial proceeding with in the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) and for the purposes of section 196 thereof.

**Repeal**

- 11. The Bhopal Gas Trasadi (Jangam Sampatti Ke Vikrayon Ka Shoonya Ghoshit Kiya Jana) Adhyadesh 1985 (No.4 of 1985) is hereby replaced.

**MADHYA PRADESH ACT**

No. 8 of 1985

**THE BHOPAL GAS TRASADI (JANGAM SAMPATTI KE VIKRAYON KA SHOONYA GHOSHIT KIYA JANA) ADHINIYAM 1985**

**TABLE OF CONTENTS**

**Sections:**

- 1. Short tile and commencement.
- 2. Definition.
- 3. Application to declare transaction of sale to be void.
- 4. Enquiry by competent authority.



5. Setting aside sale and return of movable property or affording other relief.
6. Penalty.
7. Appeal.
8. Finality of order.
9. Bar of jurisdiction of civil court.
10. Enquiries and proceedings to be judicial proceedings.
11. Repeal.